d`f"k mit e.Mh lfefr]dkxMk ftyk dkxMk fgekpy in'k d o"k] 2009-10 d y[kkvk dk vd{k.k ,oe fujh{k.k ifronu

Hkkx & ,d

<u>xr vd{k.k ifronu</u> %&

कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के वर्श,1983.1984 से 2008.09 तक की अवधि के 18 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 103 पैरे लम्बित थे । वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे/सैटलमैन्ट हेतू मण्डी समिति,कांगडा एवम् अंकेक्षण द्वारा काफी प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप कुल लम्बित पैरों में से 15 पैरों को मौके पर निरस्त किया गया। षेश लम्बित पैरों में उठाई गई आपतियों के अनुसार मण्डी षुल्क के रूप में लाखों रूपयों की वसूलियां न करना,ठेकेदारों को किये गये अनियमित भुगतानों,दुकानों के किराये व अन्य अनेक मामलों में उजागर की गई वसूलियों को दोशियों से वसूल न करना षामिल है। वर्श 1983.84 से 2008.09 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के वावजूद ऐसी गम्भीर अनियमिताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाही न करना स्वतः ही चिन्ताजनक स्थिति है, जिसके फलस्वरूप मण्डी समिति को भारी वितीय हानि उठानी पड सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना न केवल मुष्किल होगा अपितु यह कार्य असम्भव हो जाएगा । अतः वित्तीय अनियमिताओं एवम् वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतू प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना अति आवष्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्यवाही करना सुनिष्चित किया जाये तथा अनुपालना की सूचना समय.2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये । षेश बचे आडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. vd{k.k ifronu vof/k 4/83 l 3/84 ¼i.kr;k fuiVkjk½
2. vd{k.k ifronu vof/k 4/84 l 3/85 ¼i.kr;k fuiVkjk½
3. vd{k.k ifronu vof/k 4/85 l 3/88

1॰	पैरा.9;ग्प्द्ध	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड जैसे,माप पुस्तिका, प्रांकलन ब्वउचसमजपवद तमचवतज आदि को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।	अनिर्णीत
2॰	पैरा.9;ग्प्प्द्ध	निर्माण कार्यों पर स्टील,सीमेन्ट ,ईटों व रेत बजरी की खपत बारे ।	अनिर्णीत

4. vd{k.k ifronu vof/k 4/88 l 3/90

1ण	पैरा.5;36द्ध	गाडी संख्या एच.पी.एम. 5152 द्वारा 11ण2ण1989 से 11ण4ण1989 तक की गई निजि यात्रा ;159 कि.मी.द्ध की के प्रभार की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.5;37द्ध	निर्माण कार्यों के लिए किये गये भुगतानों से सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू प्रस्तुत न करने बारे ।	अनिर्णीत

5. vkd{k.k ifronu vof/k 4/90 ls 3/91

1ण	पैरा.6;1द्ध	दैनिक भोगी मजदूरों को अधिक दरों पर किये गये भुगतान राषि ृ7121ध् रूपये की वसूली न करना।	निर्णीत (वसूली देख ली है)
2ण	पैरा.6;16द्ध	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किये गये ृ83ए803ण00 रूपये के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

6. vkd{k.k ifronu vof/k 4/91 ls 3/92

1ण	पैरा.14	ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किये गये अधिक भुगतान की राषि ृ1ए22ए397ण00 रूपये की वसूली न करना ।	अनिर्णीत

7. vkd{k.k ifronu vof/k 4/92 ls 3/96

1ण	पैरा.5;टद्ध	31 मामलों में मण्डी षुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.5;ग्द्ध	थ्पीमतपमे ब्व.वचमतंजपअम ैवबपमजल ळनहसंकं से मण्डी षुल्क के रूप में ृ3ए700ध् रूपये की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
3ण	पैरा.6;4द्ध	बिजली व टेलिफोन बिलों के बिलम्ब से भुगतान करने के फलस्वरूप जुर्माने के रूप में किये गये भुगतान राषि ृ1639.00 रूपये की वसूली बारे।	अनिर्णीत

4ण	पैरा.6;8द्ध;गद्ध	न्यायालय के आदेषों के बावजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी षुल्क के रूप में ृ30ए000ध् रूपये की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
5ण	पैरा.6;ग्गटद्ध ;कद्ध व ;खद्ध	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिये श्री केवल कृश्ण ठेकेदार को किये गये ृ20ए000ध् रूपये के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
6ण	पैरा.6;ग्गटप्द्ध ;कद्ध व ;खद्ध	सब्जी मण्डी के लिये बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिये किये गये भुगतान राषि ृ35424ध् रूप्ये में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
7ण	पैरा.6;ग्गटप्प्द्ध	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी.सिंह ठाकुर को कार्य आवंटित ⁄आर्वाड करने के मामले में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
8ण	पैरा.8;खद्ध1 से 6	गाडी के उपयोग,तेल की खपत व विपणन मण्डीयों के निरीक्षण बारे ।	अनिर्णीत
9ण	पैरा.8;11द्ध	चक्की व ढलियारा में दुकानों के आंवटन बारे ।	निर्णीत कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा की बैठक दिनांक 9ण्1ण्10 की कार्यवाही देख ली गई है ।
	पैरा.8;12द्ध	सम्पति रजिस्टर के रख रखाव बारे ।	निर्णीत सम्पति रजिस्टर देख लिया गया है ।
11ण	पैरा.8;17द्ध	विभिन्न निर्माण कार्यों के ब्वउचसमजपवद ब्मतजपपिबंजमे को जांच हेतू प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

8. vidk{k.k ifronu vof/k 4/96 ls 3/99

1ण	;पपद्धपैरा.10;घद्ध	2115 ईटों के मूल्य की वसूली न करना।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.11	ृ2ए39ए050.00 रूपये के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकार्ड एवम् इन कार्यों की प्रषासनिक एवमं तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण मं जांच न करवाना।	अनिर्णीत

9. vad{k.k ifrosnu vof/k 4/99 ls 3/2000

1ण	पैरा.8	कन्दरोडी व चक्की मण्डी में दुकानों को किराये पर न देने के कारण हुई वित्तीय हानि बारे ।	निर्णीत कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा की बैठक दिनांक 9ण11ण10 की कार्यवाही देख ली गई है ।
2ण	पैरा.12;कद्ध ;1 से 5द्ध	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे ।	अनिर्णीत
3ण	पैरा.14;कद्ध	माप पुस्तिका ;डठद्ध संख्या 1937 के पृश्ठों को बीच में खाली रखने के सम्बन्ध में ;पृ.स. 46.50 व 77.78द्ध	अनिर्णीत
4ण	पैरा.15;1व 2द्ध	ृ1ए47ए057ध्. रूपये के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे । बांछित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।	अनिर्णीत

10. vad{k.k ifrosnu vof/k 4/2000 ls 3/2001 ¼i.kZr;k fuiVkjk½

11. vad{k.k ifrosnu vof/k 4/2001 ls 3/2002

1ण	पैरा.14	विज्ञापन के लिये किये गये ृ7500ध्. रूपये के भुगतान की स्वीकृति बारे ।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.15	श्री पवन काजल ठेकेदार से बिक्री कर एवमं आयकर के रूप में ृ9914ण00 रूपये की वसूली न करने बारे ।	आंषिक निर्णीत ृ6998 की वसूली देख ली गई है ।

12. vd{k.k ifronu vof/k 4/2002 ls 3/2003

1ण	पैरा.9;कद्ध	श्री पवन काजल ठेकेदार से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर एवम् विक्रय कर के रूप में ç15257ण00 रूपये की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.10	ç2ए20ए190ण00 रूपये के निर्माण कार्यों की ।ï – ै ;प्रषासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति बारेद्ध	अनिर्णीत

13. vd{k.k ifronu vof/k 4/2003 ls 3/2004

1ण	पैरा.10	अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे ।	अनिर्णीत

14. vd{k.k ifronu vof/k 4/2004 ls 3/2005

1ण	पैरा.4	मण्डी षुल्क के रूप में ç3ए86ए828ध् रूपये की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.5	मण्डलीय प्रबन्धक,वन निगम धर्मषाला से मण्डी षुल्क के रूप में ç6344ण00 रूपये की वसूली न करने बारे।	अनिर्णीत
3ण	पैरा.10	ç6804ध् रूपये के भुगतान की स्वीकृति एवम् एम.बी. व एम.ए. एस. में प्रविश्टियों बारे ।	अनिर्णीत
4ण	पैरा.11	ç13ए975ध् रूपये के भुगतान की स्वीकृति एवम् सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत
5ण	पैरा.13	ट्क संख्या एच.पी.40.8009 के टैक्स के भुगतान बारे।	निर्णीत टैक्स भुगतान व पूर्ण कार्यवाही देख ली गई है।
6ण	पैरा.14	ç5ए22ए471ध् रूपये के निर्माण कार्यों के ब्वउचसमजपवद ब्मतजपपिबंजम व कार्य सम्पूर्ण होने के पष्चात् निर्मित भवन को भ्ंदकवअमत करने बारे ।	अनिर्णीत

15. vad{k.k ifrosnu vof/k 4/2005 ls 3/2006

1ण	पैरा.4	मण्डी षुल्क के रूप में ृ30ए222ण00 की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
2ण	पैरा.8	मण्डी षुल्क के रूप में ृ14601ण00 की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
3ण	पैरा.9	मण्डी षुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
4ण	पैरा.11	विक्रय मूल्य पर मण्डी षुल्क की वसूली न करना।	निर्णीत कार्यवाही देख ली गई है।
5ण	पैरा.13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी षुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
6ण	पैरा.14	मण्डी समिति,कांगडा द्वारा लाईसैंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे।	अनिर्णीत
7ण	पैरा.15;कद्ध	दुकानों के किराये के निर्धारण से सम्बन्धित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।	अनिर्णीत
8ण	;पद्धपैरा. 15;खद्ध	मण्डी यार्ड कांगडा व नगरोटा बंगवा के निलामी के रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत
	;पपद्धपैरा. 15;गद्ध	मण्डी षुल्क की वसूली बारे।	अनिर्णीत

16. vad{k.k ifrosnu vof/k 4/2006 ls 3/2007

1ण	पैरा.1	मण्डी समिति,कांगडा द्वारा विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिये विपणन बोर्ड,षिमला को कुल ृ88ए99ए793ण00 की राषि का अग्रिमों के रूप में भुगतान किया गया है। अतः राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों व ब्वउचसमजपवद तमचवतज को प्राप्त कर के इनकी अंकेक्षण में जांच करवाई जाये।	आशिंक निर्णीत क्र.स.14 को छोडकर उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिये गये हैं।
2ण	पैरा.5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के	अनिर्णीत

		आयात पर मण्डी षुल्क के रूप में ` 9926ण्00 की कम वसूली करने बारे।	
3ण्	पैरा.6	मै.हुसैन ब्रदर्ज बकरा व्यापारी बैजनाथ से बकरों के आयात पर मण्डी षुल्क के रूप में ` 73ए662ण्00 की कम वसूली की गई । अतः कम वसूल की गई राषि को तुरन्त वसूली सुनिष्चित की जाये।	अनिर्णीत
4ण्	पैरा.7	मै.जितेन्द्र कुमार अजय कुमार षाहपुर से ` 6650ण्00 की वसूली की ली है। लेकिन मै.पवन काजल ठेकेदार से ` 37ए258६ की राषि की वूसली षेश है जिसे तुरन्त करने के लिए आवष्यक पग उठाये जायें।	आंशिक निर्णीत
5ण्	पैरा.10	चैकों द्वारा प्राप्त आय को मण्डी समिति के मुख्य खाते में जमा करने व इन राषियों पर बैंक द्वारा वसूल की गई ब्वससमबजपवद बैंतहमे की राषि ` 7907ण्00 बारे ।	निर्णीत खाता खोल दिया गया है ।
6ण्	पैरा.11	कांगडा मण्डी यार्ड में लाईसैंस जारी करने में नियमों की अवहेलना करके एक से अधिक लाईसैंस जारी करना।	अनिर्णीत
7ण्	पैरा.12	पुराने लाईसैंसों के नवीकरण में नियमों की अवहेलना करना।	अनिर्णीत
8ण्	पैरा.13	कुल 47 व्यापारियों से उन्हें लाईसैंस जारी करने के फलस्वरूप वर्श, 2006.07 के दौरान मण्डी षुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना।	अनिर्णीत
9ण्	;पद्धपैरा.14;कद्ध	मै.पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी षुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

	;पपद्धपैरा.14;खद्ध	उपमण्डी पालमपुर के ।नबजपवद रजिस्टर को जांच हेतू प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत
	;पपपद्धपैरा.14;गद्ध	क्पेउंदजसपदह उपरान्त प्राप्त सामान व इससे सम्बन्धित रिर्पोट व रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत
	;अद्धपैरा.15	लाईसैंस के रिकार्ड को प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

17. vd{k.k ifronu vof/k 4/2007 ls 3/2008

1ण	पैरा.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र आडिट को न प्रस्तुत करना।	आंषिक निर्णीत क्र.स.18 को छोडकर उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिये गये हैं।
2ण	पैरा.8	मै.सोनी फ्रूट कम्पनी से बकाया किराये की वसूली बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।
3ण	पैरा.10	मैसर्ज हुसैन एण्ड कम्पनी बकरा व्यापारी से मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	अनिर्णीत
4ण	पैरा.11(कद्ध	मण्डी षुल्क के रूप में ़116344द्ध न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
5ण	पैरा.11(खद्ध	मण्डी षुल्क के रूप में ़73578द्ध न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
6ण	पैरा.12	मण्डी षुल्क के रूप में ़45539द्ध न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
7ण	पैरा.13	मैसर्ज सरियाल टिम्बर से मण्डी षुल्क के रूप में ़42728द्ध न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
8ण	पैरा.14	मैसर्ज दिनेष कुमार प्रवीण कुमार रैत से ़27431द्ध न वसूलने बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।

9ण	पैरा.15	मैसर्ज महामाई ट्रेडिंग कम्पनी घरोह से (6547) न वसूलने बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।
10ण	पैरा.16	मैसर्ज महाजन स्पाईसिज नगरी से (3910) रूपये न वसूलने बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।
11ण	पैरा.17	मैसर्ज गणेष फ्रूट कम्पनी कांगडा से (23896) न वसूलने बारे ।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।
12ण	पैरा.18	मैसर्ज चैना राम सन्त राम से (23993) न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
13ण	पैरा.20	व्यापारियों का नियमानुसार लाईसैंस नवीकरण न करने बारे।	अनिर्णीत
14ण	पैरा.21 ;क से च)	रिकार्ड का आडिट में न प्रस्तुत करने बारे।	आंशिक निर्णीत पैरा 21 क सम्बन्धित एम फार्म देख लिये गये हैं।
15ण	पैरा.22	मार्केट यार्ड कांगडा के किराये रजिस्टर का सक्षम अधिकारी द्वारा न सत्यापित किया जाना।	निर्णीत रजिस्टर सत्यापन उपरान्त देख लिया गया है।

18. vd{k.k ifronu vof/k 4 / 2008 l 3 / 2009

1ण	पैरा.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र आडिट को न प्रस्तुत करना।	निर्णीत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिये गये हैं।
2ण	पैरा.6	दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे	निर्णीत पैरा आगामी रिर्पोट में डाल दिया गया है।
3ण	पैरा.7	मै.दी नूरपुर फ्रूट ग्रोवर्ज कोप्रेटिव मार्किटिंग सोसाईटी लि. से किराये की वसूली बारे।	निर्णीत पैरा आगामी रिर्पोट में डाल दिया गया है।

4ण	पैरा.8	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली बारे।	निर्णीत पैरा आगामी रिर्पोट में डाल दिया गया है।
4ण	पैरा.9	मैसर्ज दिनेष कुमार प्रवीण कुमार, रैत से (3930) मण्डी षुल्क दण्ड सहित वसूलने बारे।	अनिर्णीत
5ण	पैरा.10	मैसर्ज सरियाल टिम्बर, पंचरूखी से (21277) मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	अनिर्णीत
6ण	पैरा.11	आलू के व्यापारियों से (109461) कम मण्डी षुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
7ण	पैरा.12	मण्डी षुल्क के रूप में मु. 4635) रूपये की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
8ण	पैरा.13	स्थाणा पौंग डैम मत्सय को.सोसाईटी से मण्डी षुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
9ण	पैरा.14	मैसर्ज लाल चन्द कत्था व्यापारी गांव समनोली देहरा से मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	अनिर्णीत
10ण	पैरा.15	मैसर्ज धीरज ऐग स्टोर धर्मषाला से (10688) मण्डी षुल्क वसूलने बारे ।	अंषिक निर्णीत (9515) की वसूली देख ली गई है।
11ण	पैरा.16	मण्डी षुल्क के रूप में (68894) की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना।	अनिर्णीत
12ण	पैरा.17	मैसर्ज बलदेव राज एण्ड कम्पनी ,बैजनाथ से बकाया मण्डी षुल्क (8392) वसूलने बारे।	अनिर्णीत
13ण	i¦jk-18	मैसर्ज हुसैन एण्ड कम्पनी,बकरा व्यापारी से बकाया मण्डी षुल्क (207979) वसूलने बारे।	अनिर्णीत

14ण	पैरा.19	मैसर्ज एस.के.एजैंसी कालू दी हटटी से बकाया ृ6482ध मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है।
15ण	पैरा.20	कृशि उपज मण्डी समिति,मण्डी से ृ1030ध वसूलने बारे।	अनिर्णीत
16ण	पैरा.21	मैसर्ज पठानियां कत्था उघोग गगलू तह.बडोह जिला कांगडा से बकाया मण्डी षुल्क ृ1ए28ए400ध वसूलने बारे ।	निर्णीत फर्म दर्षाई गई अवधि में पजीकृंत थी। रिकार्ड देख लिया गया है।
17ण	पैरा.22;क ,ख व घद्ध	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत
	ग	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	निर्णीत रिकार्ड प्रस्तुत कर लिया गया है।

Hkkx&II

1. ikjfEHkd %&

प्रथम अप्रैल 2009 से 31ण्3ण्2010 तक कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेष के लेखों का अंकेक्षण तथा निरीक्षण हिमाचल प्रदेष कृशि एवम् औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक, 2005 की धारा 48.2 के अनुसार निवासी लेखा परीक्षा योजना के अन्तर्गत किया गया। 1ण्4ण्2009 से 31ण्3ण्2010 तक की अवधि के लेखों का अंकेक्षण श्री मुकेष कुमार स्नेही ,अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने मण्डी समिति,कांगडा में काम किया।

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने मण्डी समिति कांगडा में काम किया।

d-l-	uke	in	vof/k
1ण	जिलाधीष कांगडा	अध्यक्ष	1ण्4ण्2009 से 31ण्3ण्2010
2ण	श्री जीत सिंह	सचिव	1ण्4ण्2009 से 31ण्3ण्2010

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवदेन में दर्ज आपतियां कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर आधारित हैं ।

जीम ंनकपज तमचवतज ीं इममद चतमचंतमक वद जीम इंेपे वि जीम पदवितउंजपवदे नितदपीमक ंदक उंकम ंअंपसंइसम इल जीम ब्वदजतवससपदह व्पिबमत वि जीम पदेजपजनजपवद ण्जीम स्वबंस ।नकपज क्मचंतजउमदज कपेबसंपउे ंदल तमेचवदेपइपसपजल वित ंदल उपे.पदवितउंजपवद वत दवद.नइउपेपवद वि पदवितउंजपवद वद जीम चंतज वि ंनकपजमम ण्जीम तमेचवदेपइपसपजल वि ंनकपज पे बवदपिदमक जव जीम उवदजी`मसमबजमक वित कमजंपसमक बीमबा वित चवेज ंनकपज ण

2. vk; o 0;; d e[; lk/ku %&

कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के आय के मुख्य साधन मण्डी षुल्क, दुकानों का किराया,जमा राषियों पर अर्जित ब्याज व व्यापारियों से जुर्माने की वसूलियां है । वर्तमान अकेक्षण अवधि के दौरान संस्थापना ;म्जंइसपीउमदजद्ध निर्माण कार्यों, गाडियों के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण ,मानदेय तथा स्मह्रंस बींतहमे आदि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

3. foRrh; fLFkfr %&

(क) रोकड वही में दर्ज प्रविश्टियों के अनुसार कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा की वर्श 2009–10 की वित्तिय स्थिति निम्न प्रकार से है ।

आरम्भिक षेश	6ए95ए53ए173ण्58
आय	3ए58ए82ए492ण्87
जोड	10ए54ए35ए666ण्45
व्यय	5ए01ए97ए739ण्87
अन्तिम षेश	5ए52ए37ए926ण्58

jkdM ogh vu|lkj

(ख) उक्त अन्तिम षेश का विवरण निम्न है :–

dekd	*fooj.k*	*jkf'k*
1ण	के.सी.सी.कांगडा खाता न.2001096	14ए855ण्90
2ण	के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388	1ए58ए908ण्00
3ण	एच.जी.बी.देहरा खाता न.8786010183045	78ए061ण्00

4ण	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999	26ए871ण05
5ण	एस.बी.आई.पालमपुर खाता न.11358898696 ।क्ठ	4ए376ण35
6ण	एच.जी.बी.कांगडा खाता न.7	9ए096ण82
7ण	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.3405	99ए577ण00
8ण	एस.बी.पी.कांगडा खाता न. 55124113926	56ण46
9ण	एस.बी.आई.पालमपुर खाता न.3016473878 डंपद	4ए350ण00
10ण	के.सी.सी.डमटाल 092क्37003091	1ए24ए616ण00
11ण	सेन्ट्ल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	11ए01ए750ण00
12ण	एस.बी.आई.कांगडा 31014708927	5ए57ए649ण00
13ण	हस्तगत राषि	1ए30ए978ण00
	जोड	23ए11ए145ण58
14ण	सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेषित राषि	5ए29ए26ए781ण00
	कुल जोड	5ए52ए37ए926ण58

(ग) बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम षेश का विवरण निम्न है :–

dØekd	fooj.k	jkf'k
1ण	के.सी.सी.कांगडा खाता न.2001096	14ए855ण90
2ण	के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388	1ए58ए908ण00
3ण	एच.जी.बी.देहरा खाता न.8786010183045	78ए061ण00
4ण	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999	9ए253ण05
5ण	एस.बी.आई.पालमपुर खाता न.11358898696 ।क्ठ	4ए376ण35
6ण	एच.जी.बी.कांगडा खाता न.7	131ण00
7ण	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.3405	82ए777ण00
8ण	एस.बी.पी.कांगडा खाता न. 55124113926	56ण46
9ण	एस.बी.आई.पालमपुर खाता न.3016473878 डंपद	4ए350ण00
10ण	के.सी.सी.डमटाल 092क्37003091	14ए083ण00

11ण	सेन्ट्ल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	10ए86ए381ण00
12ण	एस.बी.आई.कांगडा 31014708927	5ए57ए649ण00
13ण	हस्तगत राषि	55ए721ण00
	कुल जोड	20ए66ए602ण76

V/rj/ *ख–ग* त्र 23ए11ए145ण58.20ए66ए602ण76त्र2ए44ए542ण82

(घ) चैक जो बैंक में जमा करवाए गए लेकिन सम्बन्धित बैंक खातों में 31ण3ण10 तक केडिट नही हुए।

(I)

dekd	pd u-	Qel dk uke	jkf'k
1ण	979841	मै.भोला बाबा मिल्क डेयरी, डमटाल	37744ण00
2ण	980249	....यथोपरि....	10185ण00
3ण	979840	....यथोपरि....	380ण00
4ण	980250	....यथोपरि....	62224ण00
5ण	549048	आई.टी.ओ.धर्मषाला बैंकर चैक	8965ण82
6ण	173011	मै.अमरटैक्स लि.नगरोटा बंगवा	416ण00
7ण	173015	..यथोपरि..	839ण00
8ण	321957	मै.धमेटा फिषरीज को. सोसाईटी धमेटा	14114ण00
9ण	015293	मै.दिनेष कुमार प्रवीण कुमार,रैत	17618ण00
10ण	025201	मै.नूरपुर फ्रूट ग्रोवर्ज को.सोसाईटी, जसूर	6000ण00
11ण	649840	...यथोपरि...	10800ण00
		जोड	169285ण82

;प्प्द्ध चैक (हस्तगत)जोकि 31ण3ण2010 तक बैंक में जमा नही किये जा सके

1ण	623845	मै. प्राथ टे्डिंग कम्पनी, डमटाल	10000ण00
2ण	056719	मै.मोहन लाल दीपक कुमार,डमटाल	10778ण00
3ण	181316	मै.अमृतसर हल्दी सेल्ज,डमटाल	44556ण00
4ण	041366	मै.के.सी.टे्डिंग कम्पनी,डमटाल	6843ण00

5ए	056723	मै.मोहन लाल दीपक कुमार,डमटाल	3080ए00
		कुल जोड ;12	2ए44ए542ए82

4. fuo'k %&

कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण अनुसार 31ए3ए2010 को निम्न विवरणानुसार ;5,29,26,781.00 निवेषित किए गए हैं।

Sr.No.	Date	Amount invested (Rs.)	Name of Bank	Period	Rate of interest	FDR No.	Date of Maturity
1	2ए4ए09	1957946	भ्ळठ टंतंदकं	1 ल्मंत	8ए00	72569	2ए4ए10
2	17ए4ए09	924586	भ्ळठ क्मीतं	1ल्मंत	8ए00	154011	17ए4ए10
3	24ए4ए09	1858242	ैठप् च्संउचनत.;डंपद ठतंदबीद्ध	1 ल्मंत	7ए75	30746806768	24ए4ए10
4	25ए4ए09	2984332	न्ब्व् झंदहतं	1 ल्मंत	8ए00	394565	25ए4ए10
5	12ए5ए09	1412380	झब्ब् श्रेंनत	1 ल्मंत	7ए50	1141588	10ए5ए10
6	16ए5ए09	2288879	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ए50	02500031227 980ए30	14ए5ए10
7	14ए5ए09	15022	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ए50	892313	14ए5ए10
8	22ए5ए09	2339	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ए50	025000च्000 2422	14ए5ए10
9	19ए5ए09	1958271	झब्ब् श्रेंनत	1 ल्मंत	7ए50	1141597	19ए5ए10
10	27ए5ए09	1000000	झब्ब् कंउजंस	1 ल्मंत	7ए50	615444	27ए5ए10
11	11ए8ए09	1958289	झब्ब् श्रेंनत	1 ल्मंत	6ए75	1141699	4ए8ए10
12	26ए8ए09	2133256	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ए50	02500031231 24038	25ए8ए10
13	8ए9ए09	3664053	भ्ळठ झंदहतं	1 ल्मंत	7ए00	108212	8ए9ए10
14	8ए10ए09	4686307	ैठच् झंदहतं	1 ल्मंत	7ए00	65071802850	3ए10ए10
15	16ए12ए09	2404116	झब्ब् श्रेंननतम	1 ल्मंत	6ए25	1141712	16ए12ए10
16	19ए12ए09	1500000	झब्ब् कंउजंस	1 ल्मंत	6ए25	627750	19ए12ए10
17	22ए12ए09	1450000	न्ब्व् ठंदा झंदहतं	3 ल्मंत	7ए5	395284	22ए12ए12
18	22ए12ए09	1450000	न्ब्व् ठंदा झंदहतं	3 ल्मंत	7ए5	395285	22ए12ए12
19	22ए12ए09	1450000	न्ब्व् ठंदा झंदहतं	3 ल्मंत	7ए5	395286	22ए12ए12

20	22ण12ण09	1450000	न्ब ठंदा झंदहतं	3 ल्मंत	7ण5	395287	22ण12ण12
21	22ण12ण09	1409000	न्ब ठंदा झंदहतं	3 ल्मंत	7ण5	395288	22ण12ण12
22	29ण12ण09	479290	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	02500031234 69038	26ण12ण10
23	26ण12ण09ध्1 6ण1ण10	1138	च्छठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	892361	26ण12ण10
24	19ण2ण10	2308481	भ्ळठ टतंदकं	1 ल्मंत	6ण50	72973	19ण2ण11
25	11ण3ण10	545762	ज्ञब् झंदहतं	1 ल्मंत	6ण25	1499228	11ण3ण11
26	17ण3ण10	2403719	भ्ळठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	187447	12ण2ण11
27	17ण3ण10	12682	भ्ळठ झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	187619	12ण2ण11
28	20ण3ण10	5016801	ज्ञब् झंदहतं	1 ल्मंत	6ण25	1493181	20ण3ण11
29	22ण3ण10	1646815	ज्ञब् झंदहतं	1 ल्मंत	6ण25	1493185	22ण3ण11
30	27ण3ण10	1055075	न्ब ठंदाए झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	395017	26ण3ण11
31	30ण3ण10	1500000	ब्मदजतंस ठंदा व िप्दकपं झंदहतं	1 ल्मंत	6ण50	751715	30ण3ण11
		52926781					

5. fuek.k dk;k l lEcfU/kr mi;kfxrk iek.k i=k dk tkp gr vd{k.k e iLrr u djukA

वर्तमान अंकेक्षण अवधि ;2009.10द्ध के दौरान विपणन समिति,कांगडा के द्वारा विभिन्न कार्यों के निश्पादन हेतू विभिन्न विभागों के पास ृ887915 की राषि क्मचवेपज ूवता के रूप में जमा करवाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

d-l-	dk;l dk uke	MkQV l[;k o fnukd	jkf'k
1ण	प्रोवाईडिंग आफ हैडपम्प एट न्यू सब्जी मण्डी धर्मषाला	169274 कज 28.8.2009	240600
2ण	प्रोवाईडिंग आफ हैडपम्प एट किसान भवन ईच्छी	293269 कजण24ण11ण09	238655
3ण	कस्ंट्क्षन आफ प्रोवाईडिंग एस.ओ.पी.सब्जी मण्डी धर्मषाला	169273 कजण28ण8ण09	408660
	dy tkM		887915

अतः उक्त राषियों के उपयोग/व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जाये तथा सम्पूर्ण रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

6. n|dkuksa ds yfEcr fdjk;s ds :i esa 751550/- dh olwyh djus ckjsA

किराये की मांग एवम् संग्रह ;क्मउंदक ंदक ब्वसससमबजपवद त्महपेजमतद्ध रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित दुकानदारों से किराये के रूप में 31ण3ण2010 को ृ751550ध्. की राषि वसूली हेतू लम्बित है। जिससे स्पश्ट होता है कि विपणन समिति किराए की उगाही हेतू गम्भीर नही है । क्योंकि वसूली योग्य यह राषि वर्शानुवर्श बढती जा रही है । अतः निम्न लम्बित राषियों की वसूली हेतू तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके । अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेषक,हि.प्र. राज्य कृशि विपणन बोर्ड,षिमला.2 के विषेश ध्यानार्थ भी आवष्यक एवं उचित कार्यवाही हेतू लाया जाता है।

dz- l-	0;kikjh dk uke	ekfld fdjk;k	vof/k	jkf'k ¼#½
1.	मै.लक्ष्मी षिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न. 1 जयसिंहपुर	1193	7ф05 से 6ф08 36 मास	42948
	.यथोपरि..	1312	7ф08 से 3ф10 21 मास	27552
2	मै.षर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न. 2 जयसिंहपुर	1193	10ф04 से 9ф07 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	10ф07 से 3ф10 30 मास	39360
3	मै.तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न. 3 जयसिंहपुर	1193	9ф04 से 8ф07 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	9ф07 से 3ф10 31 मास	40672
4	मै.सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न. 4 जयसिंहपुर	1193	6ф05 से 5ф08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	6ф08 से 3ф10 22 मास	28864

5	मै.ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न. 5 जयसिंहपुर	1193	6ध्05 से 5ध्08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	6ध्08 से 3ध्10 22 मास	28864
6	मै.जानू फ्रूट कम्पनी दुकान न. 6 जयसिंहपुर	1193	8ध्05 से 7ध्08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	8ध्08 से 3ध्10 20 मास	26240
7	श्री अरविन्द जग्गी कैंटीन जयसिंहपुर	500	9ध्04 से 8ध्07 36 मास	18000
	..यथोपरि..	550	9ध्07 से 3ध्10 31 मास	17050
8	मै.बादषाह फ्रूट कम्पनी बूथ न. 2 जयसिंहपुर	700	9ध्04 से 8ध्07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	9ध्07 से 3ध्10 31 मास	23870
9	मै.हरीष फ्रूट कम्पनी बूथ न. 3 जयसिंहपुर	700	10ध्04 से 9ध्07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10ध्07 से 3ध्10 30 मास	23100
10	मै.गणेष फ्रूट कम्पनी बूथ न. 4 जयसिंहपुर	700	10ध्04 से 9ध्07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10ध्07 से 3ध्10 30 मास	23100
11	मै.षिवा फ्रूट कम्पनी बूथ न. 5 जयसिंहपुर	700	10ध्04 से 9ध्07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10ध्07 से 3ध्10 30 मास	23100
12	मै.हरीकृश्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न. 6 जयसिंहपुर	700	10ध्04 से 9ध्07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10ध्07 से 3ध्10 30 मास	23100

13	मै.वरूण फ्रूट कम्पनी सब्जी मण्डी कांगडा	515	4ध07 से 3ध10 36 मास	18540
14	मै.जय हनुमान फ्रूट कम्पनी ज्वालाजी दुकान न. 3	2150	1ध10 से 3ध10 3 मास	6450
	dqy tksM			751550

7. <u>e`-nh ujiij QzwV xksoZtu dksikjfVo ekfdZfVx lkslkbZVh fyfeVsM ls Hkwfe dh yht@ fdjk;s dh :i esa 4,39,502.00 dh olwyh u djuk%&</u>

मै.नुरपुर फ्रूट गोवर्ज कोऑप्रेटिव मार्किटिंग सोसाईटी लिमिटेड को 28ण8ण1999 को 6600 वर्ग फुट भूमि ृ3300ध प्रतिमाह किराये/लीज पर दी गई थी। किराये पटटे के निमयों के अनुसार हर तीन वर्श के उपरान्त 10ः की बढौतरी करने का प्रावधान है। इस खाते की जांच के उपरान्त पाया गया कि उक्त फर्म से 31ण3ण2010 को लीज/किराये के रूप में निम्न विवरणानुसार ृ4ए39ए502ध की राषि लम्बित थी। अतः इस राषि की तुरन्त वसूली सुनिष्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

vof/k	ekfld fdjk;k	jkf'k :0
28.8.99 से 31.8.99	3300	426ण00
9/99 से 8/2002 3 वर्ष	3300	118800ण00
9/2002 से 8/05 3 वर्ष	3630	130680ण00
9/05 से 8/08 3 वर्श	3993	143748ण00
9/08 से 3/10 19 मास	4392	83448ण00
	जोड	477102ण00
जमा करवाई राषि		37600ण00
बकाया वसूली योग्य राषि		439502ण00

8. <u>ekdsZV ;kMZ dkaxMk esa fufeZr N% dejksa ds fdjk;s dh jkf'k 2,52,000/- :i;s dh olwyh u djuk%&</u>

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्केट यार्ड कांगड़ा में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है जिसका किराया कृशि उपज मण्डी समिति की दिनांक 25ण4ण07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार ृ1200ध मासिक की दर से माह 5ध07 से वसूलना आपेक्षित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

dekd	0;kikjh dk uke	ekfl d fdjk;k	vof/k	jkf'k ¼#½
1ण	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
2ण	मैसर्ज कुजजीत फ्रूट एजैंसी	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
3ण	मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजैंसी	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
4ण	मैसर्ज मनोहर सिंह इन्द्रजीत सिंह	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
5ण	मैसर्ज कृश्णा फ्रूट कम्पनी	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
6ण	मैसर्ज कांगडा फ्रूट एजैंसी	1200	5ध07 से 3ध10 35 मास	42000
	tkM			252000

अतः विपणन समिति कांगड़ा उक्त फर्मों से बकाया किराये की वसूली दण्ड ब्याज सहित वसूलने हेतु शीघ्र ठोस पग उठाना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. fofHkUu e.Mh ;kMZ 0;kikfj;ksa ls 116688/- de e.Mh 'kqYd olwyus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि निम्न मण्डी यार्ड व्यापारियों से निम्न विवरण अनुसार ृ116695 फल पर कम मण्डी षुल्क वसूला गया है जोकि एक गम्भीर मामला है।

d-l-	Qel dk uke	Qy dk vk;kr	vof/k	dqy e.Mh 'kqYd	e.Mh 'kqYd olwyh xbZ	cdk;k e.Mh 'kqYd
1ण	मै. पंकज फ्रूट कम्पनी कांगडा	तॅ6212912ध	4ध09 जव 10ध09	62129ध	22575ध	39554ध
2ण	मै.वैश्णो फ्रूट कम्पनी कांगडा	तॅ2286300ध	..कव..	22863ध	17753ध	5110ध
3ण	मै.कुलजीत फ्रूट कम्पनी कांगडा	तॅ1203500ध	..कव..	12035ध	..	12035ध
4ण	मै.सोनी फ्रूट कम्पनी कांगडा	तॅ3705900ध	4ध09 जव 10ध09	37059ध	15707ध	21352ध
5ण	मै. षिव षक्ति फ्रूट कं. कांगडा	तॅ2039500ध	..कव..	20395ध	13192ध	7203ध

6ण	मै. दुर्गो फ्रूट कम्पनी नगरोटा बंगवा	त्ण791346६.	..कव..	7913६.	...	7913६.
7ण	मै. न्यू षिवा जी फ्रूट कम्पनी नगरोटा बंगवा	त्ण2352062६.	..कव..	23521६.	..	23521६.
		Total				116688

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध्10.30ए दिनांक 23ण्9ण्2010ए अधियाचना संख्या 32ए दिनांक 1ण्10ण्2010 व 71ए दिनांक 1ण्2ण्2011 द्वारा सचिव,कृशि उपजमण्डी समिति, कांगडा को पहले ही आवष्यक वसूली हेतु अवगत करवा दिया गया है परन्तु सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गई। अतः उपरोक्त फर्मों से मण्डी षुल्क दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

10. fofHkUu fVEcj 0;kikfj;ksa ls 57403/- de e.Mh 'kqYd olwyuk ckjsA&

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि वर्श,2009.10 में जिला कांगडा के निम्नलिखित टिम्बर व्यापारियों से ृ57305६. रू. कम मण्डी षुल्क वसूले गये हैं :–

d-l-	QeZ dk uke	dqy vk;kfrr eky ;k fodz; jkf'k	1% dh nj ls e.Mh 'kqYd	e.Mh 'kqYd olwyh xbZ	cdk;k e.Mh 'kqYd
1ण	मै. प्रोमिला टिम्बर, राजपुरा पालमपुर	1745403६.	17454६.	14461६.	2993६.
2ण	मै.राजीव टिम्बर न्यू बस स्टैंड पालमपुर	1869435६.	18694६.	14581६.	4113६.
3ण	मै. मां षक्ति टिम्बर, फरेढ पालमपुर	2756618६.	27566६.	23614६.	3952६.
4ण	मै. कषमुण्डा टिम्बर, पटटी पालमुपर	3470275६.	34703६.	26072६.	8631६.
5ण	मै. बाम्बे फर्नीचर हाउस पालमपुर	1317778६.	13178६.	9069६.	4109६.
6ण	मैसर्ज कल्याण टिम्बर, खरोट पालमपुर	635000६.	6350६.	...	6350६.

7ण	मै. देस राज एण्ड सन्ज जसूर	2203739	22037६.	12681६.	9356६.
8ण	मैसर्ज बी. डी. षर्मा राजा का बाग जसूर	1789943	17899६.	...	17899६.
	dqy tksM				57403/-

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध10.65ए दिनांक 12ण1ण2011, अधियाचना संख्या 69ए दिनांक 27ण1ण2011 व अधियाचना संख्या अधियाचना संख्या 72 दिनांक 8ण2ण2011 द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त फर्मों से मण्डी षुल्क दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

11. pid ikLV dUMoky e 10680/- :i; de dEikmM e.Mh kYd olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों को चैक पोस्ट कन्डवाल पर लाईसैंसधारी दर्षाया गया है परन्तु रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित फर्में वास्तव मं लाईसैंसधारी नही हैं व इनसे 5 गुणा की दर से कम्पाउड षुल्क के वसूला जाना आपेक्षित था । इस प्रकार 10680६. कम कम्पांउड मण्डी षुल्क वसूले गये हैं :–

fnukd	Qe dk uke	oLrq dk uke	oLrq dk eY;	5% dEikmM kYd	olyh xbZ dEikmM kYd	de olyh
24ण4ण09	मै.अजय चिकन कार्नर	मुर्गा	62000६.	3100६.	620६.	2480६.
27ण4ण09	मै.डी.आर.इन्टरप्राईजिज	चावल	155000६.	7750६.	1550६.	6200६.
21ण10ण09	....	आलू	50000६.	2500६.	500६.	2000६.
	dqy tksM					10680/-

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध10.19 दिनांक 5ण8ण10 एसंख्या 23 दिनांक 10ण8णण2010 व संख्या 66 दिनांक 12ण1ण2011 के द्वारा भी सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही आवष्यक वसूली हेतु अवगत करवा दिया गया था। अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से अनुरोध है कि कम कम्पांउड मण्डी षुल्क वसूलने का औचित्य स्पश्ट किया जाए व बकाया कम्पाउंड मण्डी षुल्क दोशी से वसूलने के उपरान्त आडिट को अवगत करवाया जाए।

12. e.Mh kYd d : i e 8084/- :i; dh olyh u djuk %&

आडिट द्वारा चैक पोस्टों की आयात निर्यात विवरण व सम्बन्धित फर्मों के व्यक्तिगत खातों की जांच करने उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों द्वारा निम्न विवरण अनुसार जो माल आयात किया गया है उसपर मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क नियम 75 ;1द्ध ;द्ध के प्रावधान अनुसार दण्ड सहित अर्थात 5 गुणा जो ़40420ध्. बनता है वसूल करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

D- l-	QeZ dk uke	fnukd @vof/k	dqy dkjksckj	1% e.Mh 'kqYd	tek djokbZ xbZ e.Mh 'kqYd	cdk;k e.Mh 'kqYd
1ण	मै.चेतन दास बलदेव राज, कांगडा	1ण6ण2009	248739ध्.	2487ध्.	..	2487ध्.
2ण	मै.दर्पण ज्योनरी वर्कष देहरा	2ण4ण2009	393560ध्.	3936ध्.	..	3936ध्.
3ण	मै.नागपाल एजैंसी,नगरोटा बंगवा	4ण्09 जव 3ध्10	130043ध्.	1300ध्.	377ध्.	923ध्.
4ण	मै.सतीष ट्रेडिंग हाउस नगरोटा बंगवा	..कव..	73777ध्.	738ध्.	..	738ध्.
	dqy tksM					8084/-

13ण ;d) pSd iksLVksa ij lCth o Qy vk<fr;ksa ds vk;kr fu;kZr dk eqY;@ek=k untZ djuk ckjs A

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि चैक पोस्ट सुनेहत व कन्डवाल में सब्जी व फल के व्यापारियों के आयात निर्यात माल का विषेशकर मूल्य दर्ज नही किया जाता है जिस कारण व्यापारियों द्वारा किये जा रहे कारोबार व जमा करवाई जा रही मण्डी षुल्क की गणना का सत्यापन अकेक्षणं द्वारा नही किया जा सका । अंकेक्षण द्वारा आपति जताने पर केवल चैक पोस्ट सुनेहत द्वारा अवधि 4ध्09 से 10ध्09 तक सब्जी व फल व्यापारियों के आयात निर्यात माल का मूल्य दर्ज किया गया जिसमें कि अंकेक्षण द्वारा जांच करने पर गम्भीर अनियमितता पाई गई जिसका उल्लेख इस आडिट प्रतिवेदन के पैरा संख्या..9 में किया गया है । जबकि चैक पोस्ट कन्डवाल द्वारा पूर्ण वर्श में कुछ एक परचून विक्रेताओं द्वारा आयात निर्यात माल का मूल्य ही दर्ज किया गया । फल व सब्जी का वास्तविक मूल्य न दर्ज करने के कारण मण्डी समिति को बहुत वित्तीय हानि हो रही है जोकि एक गम्भीर मामला है ।

अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा कि इन चैक पोस्टों पर व्यापारियों द्वारा किये जा रहे आयात निर्यात का भविष्य में पूर्ण विवरण मूल्य सहित लिखना सुनिष्चित करें व पूर्व में इस तरह के अभिलेख न करने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼[k) pSd iksLVksa ij eqxsZ ds vk;kr fu;kZr dk ctu u ntZ djus ckjs½&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि कि माह 5ध्2009 से 3ध्2010 में चैक पोस्ट सुनेहत पर मुर्गें के आयात का वजन नही दर्षाया गया है जिससे कि मुर्गे के मूल्य का निर्धारण की जांच अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी वजन न लिखने से स्थिति संदिग्ध ही प्रतीत होती है । अंकेक्षण द्वारा जांच में यह भी पाया गया कि कुछ प्रविश्टियों में मुर्गे की बजन का उल्लेख न करके संख्या दर्षाई गई है जोकि सरासर अनुचित है क्योंकि पहले मुर्गें के आयात का कुल वजन क्विंटलों में दर्षाया जाता था । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4ध्2005 से 3ध्2006 पैरा संख्या 10 में गम्भीर आपति उठाई गई है कि मुर्गें के आयात का प्रति किलोग्राम मूल्य ृ6ध्. से ृ20ध्. तक प्रविश्टि की जा रही है। इसके बावजूद भी चैक पोस्टों पर मुर्गे के आयात का बजन दर्षाने की बजाए मुर्गे की संख्या दर्षानी षुरू कर दी गई है ताकि मुर्गे की आयात की वास्तविक कुल मूल्य का पता न लग सके । यह एक गम्भीर मामला है व इस प्रकार मण्डी शुल्क की गणना में टाल–मटोल (म्अेंपवद) होना स्वाभाविक है।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध्10.56 दिनांक 21ण्12ण्2010 द्वारा भी सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया था । अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा इस ओर निजी ध्यान देते हुए चैक पोस्टों पर मुर्गे के आयात का बजन न दर्षाने का औचित्य स्पश्ट करें तथा भविश्य में चैक पोस्टों से हो रहे मुर्गें के आयात निर्यात का पूर्ण विवरण जैसेकि मूल्य बजन इत्यादि स्पश्ट रूप से लिखना सुनिष्चित किया जाए, ताकि इस प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लग सके।

14. ¼d) dRFkk O;kikfj;ksa ls e.Mh 'kqYd u olwyus ckjs½&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कत्था व्यापारियों से वर्श, 2009.10 के दौरान किये गये कत्थे के कारोबार पर मण्डी षुल्क नही वसूली गई ।

1. मैसर्ज वीर सिंह स्पुत्र श्री भाग सिंह राजा का बाग
2. मैसर्ज मानक चन्द स्पुत्र श्री रफो राम नूरपुर
3. मैसर्ज अषोक कुमार बालक राम,नूरपुर

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध्10.60 दिनांक 5ण्1ण्2011 के द्वारा सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया था । अतः कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के प्रषासन से अनुरोध है कि मण्डी षुल्क न वसूलने का औचित्य स्पश्ट किया जाए तथा बकाया मण्डी षुल्क नियम 75 ;1द्ध ;द्ध के प्रावधान अनुसार दण्ड सहित वसूल करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

¼[k) eNyh lgdkjh lHkkvksa ls e.Mh 'kqYd u olwyus ckjs ½&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मछली सहकारी सभाओं से वर्श,2009.10 के दौरान किये गये मछली के कारोबार पर मण्डी षुल्क नही वसूली गई ।

1. मैसर्ज सिहाल मत्सय एकत्रिकरण सहकारी सभा सिहाल
2. दी धमेटा फिषरमैन को.सोसाईटी धमेटा
3. दी खटियार फिषरमैन को.सोसाईटी खटियार
4. दी नगरोटासूरियां फिषरमैन को. सोसाईटी नगरोटासूरियां
5. मत्सय फिषरमैन को. सोसाईटी ज्वाली
6. दी पौंग बांध फिषरमैंन सोसाइटी देहरा

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.॔10.61 दिनांक 5ण्1ण्2011 के द्वारा सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया था । अतः कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के प्रषासन से अनुरोध है कि मण्डी षुल्क न वसूलने का औचित्य स्पश्ट किया जाए तथा बकाया मण्डी षुल्क अब वसूल करना सुनिष्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

15. vkyw ds 0;kikfj;ksa ls 158247/- de e.Mh 'kqYd olwyus ckjs ½&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि वर्श, 2009.10 के दौरान आलू के पंजीकृत व्यापारियों से निम्नलिखित विवरण अनुसार ृ158243॔ कम मण्डी षुल्क वसूले गये हैं। चैक पोस्ट के पत्र संख्या के.एम.सी.कांगडा 2008.॔16ए दिनांक 7ण्9ण्2009 द्वारा कांगडा जिला के निर्यात आलू का ब्यौरा सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को समय पर उपलब्ध करवा दिया गया था व कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा द्वारा ृ600॔ प्रति क्विंटल की दर से वसूली की गई है। कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा द्वारा रेट तो सही लगाया गया परन्तु पंजीकृत व्यापारी के निर्यात की सत्यता की जाचं चैक पोस्ट विवरण अनुसार नही की गई जिस कारण अप्रत्यक्ष रूप से ृ10582430॔ के आलू के कारोबार को छुपाया गया है। जिसकी जांच सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा नही की गई है। इसके अतिरिक्त वर्श 2008.09 में कुल 163794 तोडे आलू निर्यात किया गया था जबकि वर्शए 2009.10 में 115145॔ तोडे आलू ही निर्यात किया गया जोकि गत वर्श की अपेक्षा 30ः कम है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आडिट को मामला सदिंग्ध प्रतीत होता है व मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

QeZ dk uke dqy fu;kZr nj dqy jkf'k 1½ e.Mh olwyh de

	rkM ¼50 ifr fd0xk0 rkMk½	¼½ e		kYd	xb e.Mh kYd	olyh
मै.गुरदेव सिंह, मलां	1740	6ε.	522000	5220	..	5220
मै.एस.एस.ट्रेडर्ज, हटवास	6992	6ε.	2097600	20976	11760	9216
मै.मदन लाल, जंदरागल	1255	6ε.	376500	3765	..	3765
मै.मिलाप चन्द, पठियार	9539	6ε.	2861700	28617	7441	21176
मै.अजय कुमार, पठियार	3965	6ε.	1189500	11895	3850	8045
मै.राम सुख दास केसरी दास, नगरोटा	35786	6ε.	10735800	107358	64800	42558
मै.मानक चन्द,पठियार	4475	6ε.	1342500	13425	6148	7277
मै.भरत राज,पठियार	16267	6ε.	4880100	48801	20400	28401
मै.रितू सूद,पठियार	8644	6ε.	2629200	26292	10298	15994
मै.राम कृश्ण,अम्बाडी	2580	6ε.	774000	7740	7500	240
मै.अमर सिंह,	1199	6ε.	359700	3597	..	3597
मै.बी.आर.एण्ड कम्पनी पठियार	1343	6ε.	402900	4029	3450	579
मै.एस.के.एजैंसी, अम्बाडी	265	6ε.	79500	795	..	795
मै.हरि सिंह पठियार	800	6ε.	240000	2400	..	2400
मै.सुभाश चन्द,पठियार	800	6ε.	240000	2400	..	2400
मै.सन्तोश कुमार,	2162	6ε.	648600	6486	..	6486

मै.हरि राम महिन्द्र पाल, पठियार	2549	6६	764700	7647	7549	98
dqy ;kx						158247

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10.49 दिनांक 20ण्11ण्2010 के द्वारा भी सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया था। अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा के प्रषासन से अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क नियम 75 ;1द्ध ;द्ध के प्रावधान अनुसार दण्ड सहित वसूल करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

16. mi lCth e.Mh tlj esa esllZ y{eh QzwV dEiuh nqdku u-15 o esllZ oS".kks QzwV dEiuh nqdku u-18 ls 234739 dEikmaM e.Mh 'kqYd olwyus ckjs %&

आडिट द्वारा निलामी रजिस्टर फार्म पी व नियम 30;11द्ध के तहत क्रण्स0 4 से 14 तक जांच करने पर पाया गया कि निम्न फर्मों की अवधि 30ण्3ण्2009 से 20ण्2ण्2010 तक ̧4694780६.की निलामी दर्ज की गई है जबकि निम्नलिखित दोनों फर्में वर्श, 2009.10 में पंजीकृत नही हैं । पंजीकृत न होने की दषा में उक्त दोनों फर्मों से 5ः की दर से ̧234739६. कम्पांउड षुल्क के वसूलने आपेक्षित थे। परन्तु आज दिन तक उक्त फर्मों से कोई भी पैसा वसूल नही किया गया है जबकि इसके विपरीत क्र. स. 1 मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी को दिनांक 16ण्3ण्2010 को कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा द्वारा पंजीकृत कर दिया गया है जोकि अनुचित था।

मामला स्वतः ही गम्भीर प्रतीत होता है। अतः मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि इस मामले की विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

Øe-la-	QeZ dk uke	dqy nthZ uhykeh	5ः dh nj ls dEikmaM 'kqYd
1ण	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी दुकान न.15 उप सब्जी मण्डी जसूर	2896240६.	144812६.
2ण	मैसर्ज वैश्णो फ्रूट कम्पनी दुकान न.18 उप सब्जी मण्डी जसूर	1798540६.	89927६.
	dqy tksM		234739/-

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध10.57 दिनांक 27ण्12ण्2010 के द्वारा भी सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया था । अतः कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के प्रषासन से अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क नियम 75 ;1द्ध ;द्ध के प्रावधान अनुसार दण्ड सहित वसूल करनी सुनिष्चित की जाए व बिना मण्डी षुल्क वसूले फर्म को पंजीकृत करने का औचित्य स्पश्ट किया जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

17. el tl cyno jkt ,.M lUt cltukFk ls 14261/- dh cdk;k e.Mh kYd dh olyh djus ckjs A

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज बलदेव राज एण्ड सन्ज,बैजनाथ द्वारा वर्श, 2009.10 में ₹2713617ध का कारोबार किया गया है जिसपर 1ः की दर से ₹27136ध मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था। परन्तु उपरोक्त फर्म द्वारा केवल ₹12875ध मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹14261ध कम मण्डी षुल्क के वसूल किये गये हैं।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध10.40 दिनांक 19ण्10ण्2010 के द्वारा भी सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया था। अतः कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा के प्रषासन से अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क नियम 75;1द्ध;द्ध के प्रावधान अनुसार दण्ड सहित वसूल करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

18. el tl ryh ,x LVkj]dkxMk ls cdk;k e.Mh kYd 529030/- olyus ckjs %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज तुली ऐग स्टोर, कांगडा को वर्श, 2009.10 में चैक पोस्ट, सुनेहत में लाईसैंसधारी दर्षाया गया है उक्त फर्म द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान सुनेहत चैक पोस्ट से ₹10580600ध के अण्डों का आयात किया है जिसपर 1ः की दर से ₹105806ध मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था। परन्तु उपरोक्त फर्म के पंजीकरण व मण्डी षुल्क वसूली से सम्बन्धित रिकार्ड अधियाचना संख्या 16 दिनांक 28ण्7ण्2010 द्वारा कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा से मांगा गया जोकि आज दिन तक आडिट को उपलब्ध नही करवाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त फर्म वर्श, 2009.10 में पंजीकृत नही थी व सम्बन्धित फर्म से 5ः की दर से ₹529030ध मण्डी षुल्क वसूलने आपेक्षित थे। परन्तु रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म से कोई राशि नहीं वसूली गई है, जोकि एक गम्भीर मामला है। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त फर्म से वर्श, 2008.09 के दौरान भी कोई राशि नहीं वसूली गई है। अंकेक्षण को इस मामले में व्यापक स्तर पर अनियमितता की जानी प्रतीत होती है जिस कारण मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि इस मामले की विभागीय जांच की जा सके व वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.ध10.54 दिनांक 18ण्12ण्ण्2010 के द्वारा भी सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है । अतः कृशि उपज

मण्डी,कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की विभागीय जांच करवाने उपरान्त दोशी से बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

19. el t glu ,.M dEiuh cdjk 0;kikjh l cdk;k e.Mh kYd 154119/- olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज हुसैन एण्ड कम्पनी बकरा व्यापारी द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल 7221 नग बकरों का आयात किया गया जिसका कुल मूल्य ₹3000 प्रति बकरा पुराने भाव दरों के हिसाब से कुल ₹21663000 बनता है क्योंकि चैक पोस्ट पर उपरोक्त आयात की कीमत नही दर्षाई गई जिसपर 1ः की दर से ₹216630 मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ₹62511 मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं । इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹154119 बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.10.43 दिनांक 23.10.10 के द्वारा सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है । अतः कृशि उपज मण्डी,कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से आडिट को अवगत करवाया जाए ।

20. el t f'kok M;jh] lukjk pkd xxy l cdk;k e.Mh kYd 16821/- olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज षिवा डेयरी, सनौंरा चौक गगल द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ₹3607000 के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर पांच प्रतिषत विक्रयदर डालकर कुल ₹3787400 बनता था जिसपर एक प्रतिषत की की दर से ₹37874 मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ₹21053 मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹16821 बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा जो दूध की मात्रा आयात की गई है उसके अनुसार प्रति किलोग्राम दूध का मूल्य 9 से 11 रूपये तक ही ठहरता है जोकि उचित प्रतीत नही होता है क्येांकि बाजार में दूध का मूल्य तब ₹20 से कम नही था।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.10.46 दिनांक 19.11.2010 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

21. el t fuf[ky VM t] n/k fodrk] ikyeij l cdk;k e.Mh kYd 55612/- olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज निखिल ट्रेडर्ज,दूध विक्रेता,पालमपुर द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल 69515. क्रेट दूध ¸8341820६ का केवल दूध का आयात किया गया है । एक क्रेट में 10 किलोग्राम दूध होता है जिसका प्रति किलोग्राम रेट ¸12 ठहरता है जोकि सही प्रतीत नही होता है। क्योंकि बाजार में इस अवधि के दौरान जो ¸20 से कम प्रति किलोग्राम की दर से दूध नहीं बिकता है । इस प्रकार ¸20 प्रति किलोग्राम की दर से आयातित मूल्य ¸13903000६ बनता है जिसपर एक प्रतिषत की की दर से ¸139030६ मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ¸83418६ मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ¸55612६ बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा दूध के कम मूल्य के बिल चैक पोस्ट पर प्रस्तुत किये गए हैं जिसकी सत्यता की कभी जांच नही की गई है ।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10.48 दिनांक 20ण11ण2010 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से आडिट को अवगत करवाया जाए ।

22. <u>e\l t: vkn’k feYd] dkxMk l: cdk;k e.Mh kYd 79832/- : i;: o lyu: ckj:</u>

अंकेक्षण दौरान रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज आदर्ष मिल्क,कांगडा द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल 79832६ क्रेट ¸7983200६ का केवल दूध का आयात किया गया है। एक क्रेट में 10 किलोग्राम दूध होता है जिसका प्रति किलोग्राम रेट ¸10 ठहरता है जोकि सत्य पर आधारित प्रतीत नही होता। बाजार में दूध का बाजारी मुल्य कम से कम ¸20 प्रति किलोग्राम बनता है। जिससे नियचित तौर पर मण्डी शुल्क से बचने हेतु टाल—मटोल की गई है। इस प्रकार ¸20 प्रति किलोग्राम की दर से आयातित मूल्य ¸15966400६ बनता है जिसपर एक प्रतिषत की दर से ¸159664६ मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ¸79832६ मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ¸79832६ बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा दूध के कम मूल्य के बिल चैक पोस्ट पर प्रस्तुत किये हैं जिसकी सत्यता की कभी जांच नही की गई है ।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10.62 दिनांक 10ण1ण2011 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्यावाही से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. <u>e\l t: nhid kek] n/k fod:rk /ke:’kkyk l: cdk;k e.Mh kYd 19676/- o lyu: ckj: %&</u>

अंकेक्षण दौरान रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज दीपक षर्मा,दूध विक्रेता,धर्मषाला द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ₹8056800 के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर एक प्रतिषत की दर से ₹80568 मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ₹60892 मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹19676 बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा जो दूध की मात्रा आयात की गई है उसके अनुसार प्रति किलोग्राम दूध का मूल्य ₹10 से ₹14 तक ही ठहरता है जोकि उचित प्रतीत नही होता है क्येांकि बाजार में दूध का मूल्य 20 से कम नही है ।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.10.63 दिनांक 10.1.2011 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी,कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. el t cyno jkt kek] n/k fodrk] /ke'kkyk l cdk;k e.Mh kYd 26463/- olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज बलदेव राज षर्मा,दूध विक्रेता,धर्मषाला द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ₹9533400 के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर एक प्रतिषत की दर से ₹95334 मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ₹68871 मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹26463 बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा जो दूध की मात्रा आयात की गई है उसके अनुसार प्रति किलोग्राम दूध का मूल्य ₹10 से ₹14 तक ही ठहरता है जोकि उचित प्रतीत नही होता है क्येांकि बाजार में दूध का मूल्य ₹20 से कम नही है।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.10.64 दिनांक 10.1.2011 के द्वारा सचिव,कृशि उपज मण्डी समिति,कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है । अतः कृशि उपज मण्डी,कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

25. el t ojdk feYd ,tlh] ikyeij l cdk;k e.Mh kYd 60052/- olyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज वेरका मिल्क एजैंसी,पालमपुर द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ₹9876428 के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर पांच प्रतिषत विक्रयदर डालकर कुल ₹10370249 बनता था जिसपर एक प्रतिषत की दर से ₹103702 मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि

उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ¸43650६ मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ¸60052६ बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10.67 दिनांक 18ण1ण2011 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. e\l t\ eYgk=k bUVjikbft t] n/k fod\rk] /ke\'kkyk l\ cdk;k e.Mh kYd 17012/- o lyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज मल्होत्रा इन्टरप्राईजिज, दूध विक्रेता, धर्मषाला द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ¸1701234६ के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर एक प्रतिषत की दर से ¸17012६ मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म से वर्श के दौरान कोई भी मण्डी षुल्क नही वसूला गया है। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ¸17012६ बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है ।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10. 17 व 36 दिनांक 29ण7ण2010 व 13ण10ण2010 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को यथा प्रावधित दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व मण्डी षुल्क समय पर न वसूलने का औचित्य भी स्पश्ट करें तथा की गई कार्रवाई से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

27. e\l t\ vHk; kek] feYd fod\rk] ikyei\j l\ cdk;k e.Mh kYd 2343/- o lyu ckj %&

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज वेरका मिल्क एजैंसी,पालमपुर द्वारा वर्श, 2009.10 के दौरान कुल ¸2186240६ के केवल दूध का आयात किया गया है जिसपर पांच प्रतिषत विक्रयदर डालकर कुल ¸2295552६ बनता था जिसपर एक प्रतिषत की दर से ¸22956६ मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्श के दौरान केवल ¸20613६ मण्डी षुल्क के रूप में जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ¸2343६ बकाया मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.६10.87 दिनांक 18ण1ण2011 के द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही उचित कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः कृशि उपज मण्डी, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बकाया मण्डी षुल्क को दण्ड सहित वसूलना सुनिष्चित करें व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28. vkfMV e fjdkM u iLrr fd;k tkuk %&

¼d½ cdk;k ijkuh jlhn cd],e Qke o vU; LVs'kujh d fjdkM dk vkfMV e u iLrr djuk A

सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से बकाया बची पुरानी रसीद बुकें, एम फार्म व अन्य स्टेषनरी के रिर्काड को आडिट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसे आडिट में प्रस्तुत नही किया गया। अतः रिकार्ड को आडिट में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पश्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख अब अंकेक्षण में आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ vlleUV l lEcfU/kr fjdkM vkfMV e iLrr dju ckj A

उपरोक्त विशय के सन्दर्भ में सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा को आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.◌़10.33 दिनांक 5ण्10ण्2010 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि वर्श, 2009.10 के दौरान हि.प्र. कृशि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक, 2005 की धारा 60;1द्ध के अनुसार लाईसैंसधारियों के वार्शिक लेखा विवरण आडिट में प्रस्तुत किये जांए। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। अतः कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त रिकार्ड आडिट में आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ dk;yk vkifr l lEcfU/kr jftLVj u iLrr djuk A

सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से कोयला आपूर्ति से सम्बन्धित रिकार्ड आडिट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसे आडिट में प्रस्तुत नही किया गया। अतः रिकार्ड को आडिट में न प्रस्तुत करने का औचित्य स्पश्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख अब अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ pd iksLV lugr dh d'k cd o ikl cd vkfMV e u iLrr djuk A

आडिट द्वारा सचिव, कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा से चैक पोस्ट सुनेहत की केष बुक व पास बुक आडिट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसे आडिट में प्रस्तुत नही किया गया। इसके अतिरिक्त पालमुपर क्षेत्र से सम्बन्धित पास बुक भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई। अतः रिकार्ड को आडिट में न प्रस्तुत करने का ओचित्य स्पश्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख अब अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

¼M-½ v[kokj jnnh dh fcdh l lEcfU/kr fjdkM vkfMV e u iLrr djuk A

कृशि उपज मण्डी समिति, कांगडा के कार्यालय में प्रतिदिन दो दैनिक समाचार पत्र लिये जाते हैं परन्तु आडिट द्वारा अखवार रददी की बिक्री से सम्बन्धित रिकार्ड आडिट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसे आडिट में प्रस्तुत नही किया गया। अतः रिकार्ड को आडिट में न प्रस्तुत करने का औचित्य स्पश्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख अब अंकेक्षण में आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

29. vid{k.k d nkjku oly dh xbl jkf’k o dVkfr;k ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण हेतू गलत भुगतान प्रस्तुत किये जाने के कारण ृ5999६. की कटौती की गई। जिनका विस्तृत विवरण इस सम्बन्ध में तैयार किये गये रजिस्टर में रखा गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि समिति के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा विभिन्न रिकार्डों की जांच सही व नियमित तौर पर नही की जा रही थी। कृशि उपज मण्डी समिति कांगडा से अनुरोध है कि भविश्य में अन्तरिक जांच को और सदृढ़ किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

30. y?k vkifr fooj.k ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई।

31. fu"d"k ¼& लेखों में सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवष्यकता है। अतः लेखे असन्तोशजनक पाये गये।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला.171009ण

पृश्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)76/84–खण्ड–7 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i thdr ¼&1 सचिव, विपणन समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करें।

2. अध्यक्ष, विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीणी, षिमला–171002.

3. सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला.171009ण

¼vui dekj ?kk:½